

एफ. सं. 6/33/2023-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य कर विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
४ मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 13.05.2024

सभी इच्छुक पक्ष

विषय: - अंतिम पीयूसी/पीसीएन पद्धति - चीन जन.गण., इंडोनेशिया, जापान, कोरिया जन.गण., ताइवान, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पन्न या वहां से निर्यातित 'पीवीसी सस्पेंशन रेजिन' के आयात के संबंध में एंटी-डंपिंग जांच।

1. यह दिनांक 26.03.2024 की आरंभिक अधिसूचना संख्या 6/33/2024-DGTR का संदर्भ है, जिसके अनुसार आरंभिक अधिसूचना में प्रस्तावित PUC और PCN पर सभी इच्छुक पक्षों से टिप्पणियाँ आमंत्रित की गई थीं। इच्छुक पक्षों से प्राप्त टिप्पणियों की जाँच की गई और विचाराधीन उत्पाद के दायरे और PCN पद्धति को अंतिम रूप देने के लिए 30 अप्रैल 2024 को दोपहर 2:30 बजे एक बैठक आयोजित की गई।
2. इच्छुक पक्षों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों के आलोक में, विचाराधीन उत्पाद का अंतिम दायरा निम्नानुसार होगा:

विनाइल क्लोराइड मोनोमर (सस्पेंशन ग्रेड) के होमोपॉलीमर को पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के रूप में भी जाना जाता है, जिसे सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया के माध्यम से 55 से अधिक और 77 तक के-वैल्यू के साथ निर्मित किया जाता है। निम्नलिखित को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है।

- i. अल्ट्रा-लो के-वैल्यू पीवीसी सस्पेंशन रेजिन (के-वैल्यू 55 तक)
- ii. अल्ट्रा-हाई के-वैल्यू पीवीसी सस्पेंशन रेजिन (के-वैल्यू 77 से ऊपर)

- iii. क्रॉस-लिंकड पॉली विनाइल क्लोराइड
- iv. क्लोरीनयुक्त पॉली विनाइल क्लोराइड
- v. विनाइल क्लोराइड विनाइल एसीटेट कॉपोलीमर (वीसी-वैक)
- vi. पॉली विनाइल क्लोराइड पेस्ट राल
- vii. बड़े पैमाने पर पॉलिमराइजेशन पीवीसी
- viii. पॉली विनाइल क्लोराइड सम्मिश्रण राल

3. इसके अलावा, वर्तमान जांच में पीसीएन वार विश्लेषण की कोई आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, प्राधिकरण ने पीसीएन के बिना जांच आगे बढ़ाने का निर्णय लिया था।
4. सभी इच्छुक पार्टियों को यह भी सूचित किया जाता है कि यह अंतिम पीसीएन/पीयूसी अधिसूचना है। इसके अलावा, पीसीएन के संबंध में प्राधिकरण द्वारा किसी भी संशोधन/टिप्पणी/तर्क पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सभी इच्छुक पार्टियों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त पीसीएन/पीयूसी के अनुसार **28.05.2024** तक प्रश्नावली के जवाब दाखिल करें। प्रश्नावली के उत्तर दाखिल करने के लिए प्राधिकरण द्वारा समय में कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा क्योंकि एंटी-डॉपिंग जांच समयबद्ध है।
6. इसे निर्दिष्ट प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

सम्मान

एसडी/-

राजीव कुमार सोनी

निदेशक (एफटी)

ईमेल: jd12-dgtr@gov.in